राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 1630/2007/नागौर.
2. अपील संख्या – 1631/2007/नागौर.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता–चतुर्थ, राजस्थान जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

श्री पुखराज पुत्र श्री करनाराम, नागौर. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अनिल पोखरणा, उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 28/06/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा उक्त दोनों अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 149 व 147/06–07/ईटीएलए में राजस्थान राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे **'प्रवेश कर अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 23 के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 09.05.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता–चतुर्थ, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी के विरूद्ध प्रवेश कर अधिनियम की धारा क्रमशः 31(12) व 31(6) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 29.11.2006 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार किया है।

2. इन दोनों अपीलों में विवादित बिन्दु एवं पक्षकार समान निहित होने से दोनों प्रकरणों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा दिनांक 17.10.2006 को वाहन संख्या आर.जे.21/जी–1505 के जरिये 80 बोरी नटखट ब्राण्ड गुटखा परिवहनित किया जा रहा था, जिसकी जांच सक्षम अधिकारी द्वारा की गई। जांच में माल से सम्बन्धित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश पर बिल संख्या 203/17.10.2006 एवं ई.टी.एल.ए. 12/17.10.06 मय माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में दर्ज याचिका संख्या 5249/2006 के अंतरिम निर्णय की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। वाहन चालक द्वारा यह बयान किया गया कि यह

लगातार.....2

माल दिल्ली से नागौर ले जाया जा रहा है, परन्तु प्रस्तुत दस्तावेजों में बिल संख्या 203 राज्य की फर्म मैसर्स शिवराज ट्रेडर्स खेतड़ी राजस्थान का जारी किया हुआ था जो मैसर्स गजानन्द ट्रेडिंग कम्पनी नागौर के नाम बनाया हुआ था। जांच अधिकारी ने यह अभियोग स्थापित किया कि माल दिल्ली से लाया गया है परन्तु इसके दस्तावेज खेतड़ी (झुंझुनूं) राजस्थान से नागौर के बनाये गये हैं। इस प्रकार यह मानते हुए कि परिवहनित वाहन दिनांक 17.10.2006 को जांच चौकी बुहाना पर बिना रोके ले जाया गया तथा उसी माल के मिथ्या दस्तावेज खेतड़ी से बनाये गये, जिसमें बिल पर किये गये हस्ताक्षर बिजनिस मैनेजर से मेल नहीं खाने का भी आक्षेप किया गया। अतः अपील संख्या 1631/2007 से सम्बन्धित प्रकरण में प्रवेश कर अधिनियम की धारा 31(6) के तहत शास्ति रूपये 1,92,300/— एवं धारा 31(13) के तहत कर रूपये 1,02,560/— कुल रूपये 2,94,860/— का आरोपण आदेश दिनांक 29.11.2006 से किया गया।

4. अपील संख्या 1630/2007 से सम्बन्धित प्रकरण में प्रवेश कर अधिनियम की धारा 31(12) के तहत आदेश दिनांक 29.11.2006 के जरिये प्रत्यर्थी वाहन प्रभारी पर शास्ति रूपये 3,20,500/— का आरोपण इस आधार पर किया गया कि वाहन चालक द्वारा जानबूझकर वाहन को जांच चौकी बुहाना पर नहीं रोका गया, जो कि प्रवेश कर अधिनियम की धारा 31(2)(बी) का उल्लंघन है।

5. इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दोनों प्रकरणों में एक ही व्यक्ति क्रमशः वाहन प्रभारी व माल मालिक पर प्रवेश कर अधिनियम की धारा 31(12) तथा 31(6) व (13) के तहत पृथक—पृथक आदेश दिनांक 29.11.2006 पारित करते हुए शास्ति व कर आरोपण किया गया है। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त दोनों आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की जाने पर, अपीलीय अधिकारी के पृथक—पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 09.05.2007 (त्रुटिवश 09.05.2006 अंकित) द्वारा अपीलें स्वीकार किये जाने से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी राजस्व की ओर से यह अपीलें पेश की गयी हैं।

6. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश विधिविरूद्ध है क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया था कि प्रत्यर्थी द्वारा मिथ्या एवं झूठे दस्तावेजों के जरिये माल का परिवहन किया जा रहा था क्योंकि माल दिल्ली से लाया गया था जबकि बिल राजस्थान के खेतड़ी के व्यापारी के जारी करवाये गये थे एवं प्रत्यर्थी द्वारा दिल्ली से राज्य की सीमा में प्रवेश करते समय बुहाना चैकपोस्ट पर वाहन को रोका नहीं गया बल्कि रोकने का इशारा करने के बावजूद भी

लगातार.....3

वाहन भगाकर ले जाया गया। इस तरह करापवंचन की मनोदशा के साथ एवं फर्जी दस्तावेजों के साथ जो माल का परिवहन किया गया था उस पर प्रवेश कर अधिनियम की धारा 31(12), 31(6) व (13) के तहत शास्ति का आरोपण उचित रूप से किया गया था, परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा तथ्यों को बिना समझे ही अपीलें स्वीकार की गयी हैं।

7. विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि इस प्रकरण में जो बिल जारी किये गये थे, उसमें बिजनिस मैनेजर के हस्ताक्षर भी फर्जी तरीके से किये गये थे। इस तरह फर्जी दस्तावेजों के साथ जो माल का परिवहन किया गया था वह माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2007) 18 टैक्स अपडेट 321 मैसर्स गुलजग इण्डस्ट्रीज** के आलोक में शास्ति योग्य था। फलतः पारित शास्ति आदेश विधिक घोषित करते हुए अपीलीय आदेशों को अपास्त करने योग्य बताया।

8. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि वक्त जांच माल से सम्बन्धित विधिक बिल प्रस्तुत किया गया था तथा प्रवेश कर अधिनियम के तहत मैसर्स शिवराज ट्रेडर्स द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में प्रवेश कर के विरूद्ध याचिका भी दायर की हुई थी तथा यह माल खेतड़ी से नागौर ही ले जाया जा रहा था अतः प्रवेश कर अधिनियम की धारा 31(2)(ए) के अनुसार वांछित दस्तावेज यथा बिल प्रस्तुत कर दिया गया था इसी आधार पर अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलें स्वीकार की जाने में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी बताया कि परिवहनित माल पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क चुकाया हुआ था जिसकी पुष्टि एक्साईज अधिकारी के पत्र दिनांक 31.10.2006 से की गयी थी एवं कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पंजीकृत व्यवसायी से बिक्री किये हुए माल पर कर का भी आरोपण किया गया है जो यह दर्शाता है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि के विरूद्ध है, फलतः अपीलीय आदेश की पुष्टि किये जाने का अनुरोध किया।

9. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में अपीलीय अधिकारी द्वारा यह निर्णय किया गया है कि वक्त जांच माल के सम्बन्ध में धारा 31(2) के तहत वांछित दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे जिसे कर निर्धारण अधिकारी ने कहीं पर भी मिथ्या साबित नहीं किया है, ऐसी स्थिति में उक्त धारा 31(2) का कोई उल्लंघन नहीं होने से धारा 31(6) के तहत शास्ति का आरोपण अविधिक है। अपीलीय अधिकारी के इस निर्णय पर विचार किया गया तथा रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

लगातार.....4

10. प्रकरण में कर निर्धारण आदेश में इस तथ्य पर अधिक जोर दिया गया है कि यह माल दिल्ली से रवाना होकर राजस्थान की ओर आ रहा था, अतः इस पर प्रवेश कर की देयता है, जबकि वक्त जांच जो बिल पेश किया गया था वह खेतड़ी की फर्म का बिल था, ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम खेतड़ी के बिल को मिथ्या घोषित किये जाने की विधिक आवश्यकता थी, जबकि विक्रेता फ़र्म मैसर्स शिवराज ट्रेडर्स के बिल क्रमांक 203/17.10.2006 को मिथ्या साबित नहीं किया गया है तथा कर निर्धारण अधिकारी की जांच रिपोर्ट में भी यह अंकित है कि मैसर्स शिवराज ट्रेडर्स द्वारा माल का बिल जारी किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि शिवराज ट्रेडर्स की सम्बन्धित सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा की गई जांच दिनांक 17.10.2006 की जांच रिपोर्ट पत्रावली पर उपलब्ध है उसमें फर्म द्वारा बिल नं0 203 दिनांक 17.10.2006 जारी किये जाने की पुष्टि की गयी है जिसमें नटखट गुटखा 6.36 लाख का बताया हुआ था। जांच रिपोर्ट में यह भी अंकित किया गया है कि विवादित परिवहनित वाहन में माल सुबह 7.30 से 8.00 बजे के बीच खेतड़ी स्थित गोदाम से भरा गया था जो गजानन्द ट्रेडिंग कम्पनी, सदर बाजार नागौर के नाम जारी है, जिसमें वाहन संख्या भी दर्ज है। फलतः अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रवेश कर अधिनियम की धारा 31(2)(ए) का उल्लंघन नहीं मानते हुए आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में कोई भूल नहीं की गई है क्योंकि वक्त जांच माल का बिल प्रस्तुत कर दिया गया था, जिसकी पुष्टि खेतड़ी की ब्रांच से विभाग के अधिकारी द्वारा भी की गई है। चूंकि माल राज्य के भीतर से राज्य के भीतर ही भेजा जा रहा था ऐसी स्थिति में कर का आरोपण किया जाना भी अविधिक है।

11. इसी प्रकार उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि माल का गमनागमन राज्य के भीतर ही किया जा रहा था तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन चालक पर प्रवेश कर अधिनियम की धारा 31(12) के तहत शास्ति का आरोपण इस आधार पर किया गया था कि वाहन चालक द्वारा वाहन को राज्य की चैकपोस्ट बुहाना पर रोककर दस्तावेजों पर चैकपोस्ट की मोहर अंकित नहीं करवाई गई है जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दस्तावेजों को किसी जांच से मिथ्या प्रमाणित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रवेश कर अधिनियम की धारा 31(12) के तहत वाहन चालक पर आरोपित शास्ति को अपास्त किये जाने में भी कोई त्रुटि नहीं की गयी है।

12. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत दोनों अपीलें अस्वीकार की जाकर अपीलीय आदेशों की पुष्टि की जाती है।

13. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य